न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— सुरेश चौधरी
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
127 / 2022 / प्रा.पत्र / 2022	26.12.2022	16.05.2024

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

............प्रार्थी

बनाम

1—श्री अविनाश जैन पुत्र श्री राजेन्द्र जैन निवासी मीरा सर्किल मेन मार्केट दूनी जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स कोठारी किराणा स्टोर मीरा सर्किल मेन मार्केट दूनी जिला टोंक पिनकोड—304802 मोबाईल नं. 7073185318

2—मैसर्स कोठारी किराणा स्टोर मीरा सर्किल मेन मार्केट दूनी जिला टोंक पिनकोड—304802

3—श्री राजकुमार गुप्ता पुत्र श्री कमलेश कुमार गुप्ता निवासी 41 मुक्तानंद नगर गोपालपुरा बाईपास, दुर्गापुरा जयपुर राज. पार्टनर मैसर्स एन.बी. एन्टरप्राईजेज जी—696 ए, सीतापुरा इण्ड. एरिया जयपुर राज.। पिनकोड—302022

4—मैसर्स एन.बी. एन्टरप्राईजेज जी—696 ए, सीतापुरा इण्ड. एरिया जयपुर राज.। पिनकोड—302022

............अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित—

1—पेरोकार सरकार।

2—अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री विजय पारीक एड. उपस्थित।

:—निर्णय—: **दिनांक 16.05.2024**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 11.10.2022 को समय 12:45 पीएम पर मैसर्स कोठारी किराणा स्टोर मीरा सर्किल मेन मार्केट दूनी जिला टोंक राज. पर पहुंचा। वहां पर श्री अविनाश जैन पुत्र श्री राजेन्द्र जैन अपने प्रतिष्ठान पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री अविनाश जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान में आम जनता को विक्रय हेतु अन्य खाद्य पदार्थों के साथ दुकान की रैक में लगभग 50 पैकेट पैक्ड अवस्था में प्रत्येक नग 500—500 ग्राम पैक **लाल मिर्च पावडर (नवीन ब्राण्ड)** रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षाा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री अविनाश जैन को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री अविनाश जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **लाल मिर्च पावडर (नवीन ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर 85 एवं पैकिंग की दिनांक 08 अगस्त 2022 थी, वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, 500–500 ग्राम पैक के 4 मूल पैक खरीदे, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **लाल मिर्च पावडर (नवीन ब्राण्ड)** 500–500 ग्राम पैक के 4 मूल पैक में से एक–एक पैक वाले नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3294 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3294 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज. जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री अविनाश जैन पुत्र श्री राजेन्द्र जैन ने मौके पर बतौर वारन्टी कोई खरीद बिल प्रस्तुत नहीं किया। इस बाबत् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने पत्र प्रेषित कर वारन्टी बिल चाहा जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने बतौर वारन्टी मैसर्स एन.बी. एन्टरप्राईजेज जी–696 ए, सीतापुरा इण्ड. एरिया जयपुर का खरीद बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए. / 2022 / 3570 दिनांक 31.10.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल.एस. / 2973 / एक्ट / 2022 / 3014 दिनांक 21.10.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **लाल मिर्च पावडर (नवीन ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण स्वयं मय अभिभाषक श्री विजय पारीक उपस्थित हुए एवं निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र इसके लेबल पर Expiety/Use by date निर्धारित प्रारूप में अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **लाल मिर्च पावडर (नवीन ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52(सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **लाल मिर्च पावडर (नवीन ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 50,000/– (अक्षरे पचास हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 16.05.2024 से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

(सुरेश चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक